सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं .NCST/SER-2360/MHRD/25/2025-RU-IV दिनांक :30/07/2025

सेवा मे,

श्री विनायक गर्ग
आयुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति,
बी-15, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 62,
नोएडा, उत्तर प्रदेश 201307
Email: commissioner.nvs@gov.in

विषय: मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, हनुमानगढ़ में नियुक्ति देने के संबंध में (राजस्थान)– श्री महेश कुमार मीना, पी(गणित) टी.जी., जे.वी.एन., पल्लु, हनुमानगढ़ का (राजस्थान) अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का नोटिस दिनांक 20.06.2025 (प्रतिलिपि संलग्न)

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच /की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **05.08.2025 को 04:00 P.M** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने केलिए सूचनार्थ:

श्री मुकेश कुमार मीना,
पी(गणित) टी.जी.,
जे.वी.एन., पल्लु,
हनुमानगढ़ (राजस्थान) - 335512,
Mobile No:9664419992

PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-2360/MHRD/25/2025-RU-IV दिनांक: 20/06/2025

आयुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति,
बी-15, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर 62,
नोएडा, उत्तर प्रदेश 201307
Email: nlinvsnoida@gmail.com

विषय: **मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, हनुमानगढ़ (राजस्थान) में नियुक्ति देने के संबंध में – श्री महेश कुमार मीना, पी.जी.टी (गणित), जे.एन.वी., पल्लु, हनुमानगढ़ (राजस्थान) का दिनांक 23.04.2025का मेल/अभ्यावेदन।**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री मुकेश कुमार मीना** से दिनांक 23/04/2025 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है ।

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री मुकेश कुमार मीना,
पी.जी.टी (गणित),
जे.एन.वी., पल्लु,
हनुमानगढ़ (राजस्थान) - 335512,
Mobile No:9664419992

O/C

S.No 10872-10873
date 25-6-2025

जारी किया
ISSUED

सक रूप से प्रताड़ित करनेSC/ ST, अस्थाई संबद्धता समाप्त करने, जेएनवी हनुमानगढ़ में नियुक्ति देने के संबंध में।

mk mkmeena5394@gmail.com
Wed, 23 Apr 2025 9:16:25 PM +0530

To "Antar Singh Arya" <chairperson@ncst.nic.in>, "PS to Chairperson NCST" <pstochairperson@ncst.nic.in>, "RO Jaipur" <ro-jaipur@ncst.nic.in>, "Dharmendra Pradhan" <minister.sm@gov.in>, "Jenny Raj Chittigala" <secretary-pps@ncst.nic.in>

Tags Not in Contacts

सेवामें ,

श्री मान अध्यक्ष चेयरपर्सन

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली

श्री मान क्षेत्रीय कार्यालय
अनुसूचित जनजाति आयोग, जयपुर

विषय : मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में । जेएनवी हनुमानगढ़ में नियुक्ति देने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन लेख है कि मैं मुकेश कुमार पीजीटी (मैथमेटिक्स) के रूप में नवोदय विद्यालय समिति को दिनांक 4 सितम्बर 2017 को क्षेत्रीय कार्यालय नवोदय विद्यालय समिति शिलांग संभाग के जेएनवी हालांकांडी (असम) में ज्वाइन किया था , महोदय चार वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल (Tenure) पूर्ण कर मेरा स्थानांतरण पीएम श्री जेएनवी पल्लू, हनुमानगढ़ में मेने दिनांक 21 अगस्त 2021 को (PGT MATHEMATICS) पद पर ज्वाइन किया और महोदय 2024 तक लगातार जेएनवी पल्लू हनुमानगढ़ में (PGT MATHEMATICS) पद अध्यापन करा रहा हूं , इन सभी कार्यकाल में मेरा CBSE Class XIIth subject (mathematics) का परिणाम शतप्रतिशत के साथ समिति बेंचमार्क 80 % के साथ रहा है ।
महोदय अंतिम वर्ष में नवोदय विद्यालय समिति , क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा मेरे से PRE BOARD- विषय गणित MATHEMATICS का पेपर सेट का सफलतापूर्वक कार्य किया गया था , साथ ही महोदय सेशन 2021 - 2022, 2022 - 2023, 2023 - 2024 में (evening supervised) में अतिरिक्त कक्षा लेकर आठ छात्रों का IIT में चयन कराया है, महोदय प्रत्येक वर्ष evening supervised के दौरान में अतिरिक्त कक्षा लेकर गणित का अध्यापन करा रहा हूं, जिससे महोदय परिणाम शतप्रतिशत समिति बेंचमार्क के अनुसार रह रहा है।
महोदय दिनांक 7 अगस्त 2024 को evening supervised के दौरान कक्षा 11 जीवविज्ञान (Biology) का छात्र अमृत सिंह दो _ तीन बार लगातार अनुशासनहीनता स्कूल कैंपस में कर रहा था मेने बार_ बार समझा कर अपनी कक्षा में UNIT test का अध्ययन करने के लिए मेने उसकी कक्षा में बैठाया था किन्तु महोदय कुछ समय पश्चात मेरे द्वारा राउंड लगाने पर देखा गया की सीनियर छात्र अमृत सिंह कक्षा 11 जीवविज्ञान
(Biology) का छात्र , जूनियर कक्षा 10 B में सभी छात्रों को डरा दमाकर एक छोटे छात्र के साथ ग़लत टच कर (Bad Touch) रैगिंग करता पाया गया था, महोदय स्कूल अनुशासन को बनाए रखने के लिए मेरा द्वारा छात्र अमृत सिंह को समझाया गया था किन्तु महोदय मेरी बच्चे के प्रति ऐसी कोई द्वेष भावना नहीं थी, महोदय भविष्य में इसी कोई कार्यवाही मेरे द्वारा नहीं दोहराई जाएगी ।
महोदय पैरा four के अनुसार बताए समिति पत्र क्रमांक NO F. 3 - 223/2013 NVS दिनांक 9 सितंबर 2014 और पत्र क्रमांक F NO 3- 223 /2013 -NVS/2013 NVS (SA) 18 सितंबर 2013 के समय मेरी कॉलेज शिक्षा चल रहीं थी समिति ज्वाइन सितम्बर 2017 के समय बाद ऐसे पत्र मेरे संज्ञान ओर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं सिमिलर जो महोदय पैरा पांच में पत्र क्रमांक F NO 223 /2013 NVS (SA) 21 April 2014 के पत्र का कोई मेरे संज्ञान में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। उस समय महोदय में बीएड प्रशिक्षण कर रहा था।
महोदय में एक ग्रामीण परिवेश से एक किसान का बेटा हूं महोदय मेरे द्वारा मेहनत कर 2016 में m.sc कर मेने PGT MATHEMATICS सितम्बर 2017 में अध्यापक का पद प्राप्त किया है। महोदय साथ में मेरे द्वारा लॉन लेकर अध्ययन किया गया है तथा अब मेरे पर होम लॉन चल रहा है जिससे मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ।

डायरी सं. 68
दिनांक 25/4/2